

नेपाल राम बनात दानाराम

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख
हुकम

पत्रावली निषेधाज्ञा

क्र. नं. - ४०/२०२५

२२.७.२४

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक २४.७.२४ को पेश हो।

२४.७.२४

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ४.८.२४ को पेश हो।

[Signature]

04.08.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या १ ने जवाब प्रार्थना पत्र मय कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता-३ दस्तावेजात् के पेश किये। जिसकी नकल दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण संख्या २ व ३ की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या २ व ३ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस में विचारार्थन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में स्थगन आदेश पारित करते हुए मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीपालराम कानन ६/१/११

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

गणेशदास त्रिपाठी नि.स. ४०/२०२५

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई

निषेधाज्ञा में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1362, 1363, 1364, 1365 कुल किता 4 कुल रकबा 4.23 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम होल्याकाबास पटवार हल्का कोटडी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

३२

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)